परेशानी | अगले हफ्ते से शुरू होगा शादियों का सीजन

मेन्यू करना पड़ेगा छोटा, इस बार गैस सिलेंडर बजाएगा बैंड

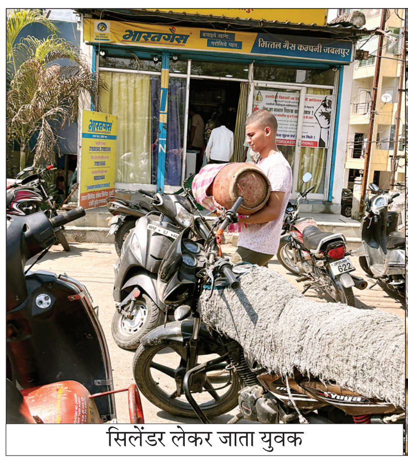

सिलेंडर लेकर जाता युवक

एजेंसी के बाहर लगी क़तार

जबलपुर, नवभारत। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी रसोई गैस की किल्लत जारी है। हालांकि स्थिति कुछ हद तक संभली जरूर है लेकिन पूरी तरह से पटरी पर नहीं आ सकी है। इसी संकट के बीच 14 अप्रैल को खरमास समाप्त होने वाला है और 16 अप्रैल से शादियो का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में जिन परिवारों में शादियां हैं, उनकी चिंता बढ़ गई है। एक ही सवाल परेशान कर रहा है कि, आखिर बारातियों की थाली कैसे सजेगी? कहीं गैस की किल्लत इज्जत न ले ले। शहर के मैरेज हॉल संचालकों और कैटरर्स के सामने भी संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि शादियों के लिए बुकिंग महीनों पहले हो चुकी है।

एक झलक में....

- जिले में लगभग 50 गैस एजेंसी
- 7,14,390 घरेलू एलपीजी उपभोक्ता
- 7550 एलपीजी की दैनिक औसत बिक्री

छोटे सिलेंडर की अलग समस्या

बता दे कि शहर में इन दिनों छोटे गैस सिलेंडर (पांच किलोग्राम) की किल्लत ने बाहर से आकर शहर में काम करने वाले आम लोगों की समस्या बढ़ा दी है। पहले कभी 600 रूपये में फुल होने वाला ये सिलेंडर अब एक हजार रुपए देकर भी फुल नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित स्टूडेंट और किराए का मकान लेकर रहने वाले मध्यम वर्गीय लोग हुए है। इन लोगों के लिए छोटा पांच किलो वाला सिलेंडर महत्त्वपूर्ण विकल्प था जो अब गैस की किल्लत की वजह से नहीं मिल पा रहा है।

अतिरिक्त सिलेंडर आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं

वही सिविल लाइन स्थित एक होटल व्यवसाई ने बताया कि, हमें कॉमर्शियल सिलेंडर की जरूरत होती है, लेकिन अभी पहले की अपेक्षा आधा ही मिल रहा है। नेपियर टाउन स्थित एक बैंक्वेट हॉल के मैनेजर ने कहा-यही हाल रहा तो हमें क्लाइंट्स को पार्टी के लिए मना करना पड़ेगा या फिर मेन्यू छोटा करना पड़ेगा। प्रशासन द्वारा अबतक शादी और अन्य समारोहों के लिए अतिरिक्त सिलेंडर की आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। शादियों को लेकर गैस एजेंसियों को जिला प्रशासन द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

रॉंग साइड से आए ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौत

नवभारत, जबलपुर। तिलवारा थाना अंतर्गत तिलवारा पुल पर बीती रात रोंग साइड से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो दोस्तों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक के पीछे बैठे बैठे अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब दोनों दोस्त ऑफिस की मीटिंग खत्म कर घर लौट रहे थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार धनवंतरी नगर संजीवनी नगर निवासी भवतोष दुबे (50) फ्रंटियर जेसीबी कंपनी में कार्यरत हैं, भवतोष ने बताया कि बीती रात होटल रॉयल ऑर्बिट में उनकी कंपनी की फायनेंसर मीटिंग थी। मीटिंग समाप्त होने के बाद वह अपने साथी अमित अग्निहोत्री निवासी शिवनगर, विजय नगर के साथ अमित की ही मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 20 एम वाय 3149 से वापस लौट रहे थे। रात करीब 11:30 बजे जैसे ही उनकी बाइक तिलवारा पुल के आखिरी छोर पर पहुँची, सामने से रोंग साइड से एक ट्रक चालक ओवरटेक करते हुए बेहद तेज गति और लापरवाही से ट्रक चलाकर लाया और जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अमित सीधे ट्रक की चपेट में आ गया और गंभीर चोटें आने के कारण उनकी जान चली गई।

असम में कांग्रेस की सरकार बनी तो जेल की हवा खाएंगे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा : डॉ. अजय

कांग्रेस पार्टी के संभागीय टैलेंट हंट इंटरव्यू में पधारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता

नवभारत, जबलपुर। भाजपा की डबल इंजन की असम सरकार के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भारत वर्ष के सबसे बड़े भ्रस्टाचारी मुख्यमंत्री है। अगर असम में कांग्रेस की सरकार बनी तो हिम्मत बिस्वा जेल की हवा खाएंगे। ये बातें जबलपुर में एक निजी होटल में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने कही। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि

कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने असम सरकार के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा व उनकी पत्नी पर 3 देशों के अवैध पासपोर्ट व अवैध सम्पत्ति अर्जित करने का जो आरोप लगाया है, वह पूरी तरह सत्य है, उन्होंने कहा की असम सरकार के द्वारा पवन खेड़ा के निवास पर पुलिस भेजने से न पवन खेड़ा आहत होंगे, ना असम के कॉंग्रेस कार्यकर्ता । इस अभियान के तहत जबलपुर में जिला एवं संभाग स्तर के प्रतिभागियों के लिए इंटरव्यू आयोजित किए गए। इंटरव्यू प्रक्रिया में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संजय उपाध्याय, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया, प्रदेश प्रवक्ता मृणाल पंथ, अपूर्व भारद्वाज, शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा, चैतन्य भट्ट और पूर्व कुलसचिव कमलेश मिश्रा ने प्रतिभागियों से आमने-सामने (वन-टू-वन) बातचीत कर उनकी क्षमता, विचारधारा और अभिव्यक्ति कौशल का मूल्यांकन किया। इस चयन प्रक्रिया में बालाघाट, कटनी, सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों से बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। सभी ने अपने-अपने विचारों और संगठन के प्रति समर्पण को प्रस्तुत करते हुए इंटरव्यू दिया। कांग्रेस का यह टैलेंट हंट अभियान पार्टी में नई ऊर्जा और नए चेहरों को अवसर देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

चयनित प्रतिभागियों को आगे प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, जिससे कांग्रेस संगठन को मजबूती मिलेगी और जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने में मदद मिलेगी।

कांग्रेस चला रही टैलेंट हंट

इन दिनों कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें आगे लाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चला रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने 'टैलेंट हंट' के माध्यम से जिला स्तर पर प्रवक्ताओं के चयन की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत योग्य प्रतिभागियों को चुनकर उन्हें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अवसर देने की योजना बनाई गई है।

15 उर्वरक विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित

ई-विकास पोर्टल से बिक्री नहीं करने पर प्रशासन की सख्ती

नवभारत,जबलपुर। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने नियमों की अवहेलना करने वाले जिले के 15 फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इन विक्रेताओं ने शासन के निर्देशों के बावजूद ई-विकास प्रणाली के माध्यम से उर्वरक का वितरण नहीं किया था। उप संचालक डॉ. एस. के. निगम के अनुसार 1 अप्रैल से उर्वरक का शत-प्रतिशत वितरण ई-विकास पोर्टल से करना अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद 3 से 6 अप्रैल के बीच कई विक्रेताओं ने नियमों का पालन नहीं किया, जिसके चलते यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत की गई।

इन विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित

जानकारी के अनुसार निलंबित विक्रेताओं में न्यू शर्मा कृषि केन्द्र (अंधुवा, पनागर), जय कृषि केन्द्र (खलरी, मझौली), इफको बाजार (पनागर), वैष्णवी कृषि केन्द्र (मोहला, मझौली), तिवारी कृषि सेवा केन्द्र (गोसलपुर, सिहोरा), अभिषेक कृषि सेवा केन्द्र (मनकेडी, शहपुरा), राहुल ट्रेडर्स (नुनसर, पाटन), अजय कृषि केन्द्र (रैपुरा पनागर), गुप्ता कीटनाशक भंडार (बघराजी, कुण्डम), किसान कृषि सेवा केन्द्र (बघराजी, कुण्डम), माँ शारदा खाद बीज भंडार (पिपरिया बरगी, जबलपुर), अग्रवाल इंटरप्राइजेज (पाटन), पाण्डेय कृषि केन्द्र (मझगवां, सिहोरा), अनमोल एग्रोटेक (बेलखाडू, पनागर) और मेसर्स सिद्धी फर्टिलाइजर (खजरी, पनागर) शामिल हैं।

5 सहकारी संस्थाओं को नोटिस

विभाग ने सख्ती बरतते हुए 5 सहकारी संस्थाओं को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी ।

कब्र से शव निकालकर करवाया जाये पोस्टमार्टम, हाईकोर्ट का आदेश

जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस ए के सिंह की युगलपीठ दायर अपील सुनवाई करते हुए कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराये जाने के आदेश जारी किये है। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता सुबह 11 बजे एसडीएम अधारताल के समक्ष उपस्थित हो और दोपहर 1 बजे तक शव को कब्र से बाहर निकलने के बाद उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाये। याचिकाकर्ता निर्धारित समय पर एसडीएम के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। जबलपुर निवासी कसीमुद्दीन कुरैशी की तरफ से दायर की गयी अपील में कहा गया था कि उसका भाई गयासुद्दीन कुरैशी नरसिंहपुर जिले के बोरीपार गांव में रहता था। उसका भाई

26 मार्च 2025 एक हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जबलपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद अगले दिन 27 मार्च को इलाज के लिए नागपुर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जबलपुर स्थित अस्पताल की डिस्चार्ज रिपोर्ट में उसके भाई के सीने में चोट का निशान बताये गये थे। ऐसे में मौत को सामान्य नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर मामले की जांच और पुन: पोस्टमार्टम करवाये जाने की मांग की गयी थी। आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एकलपीठ ने उक्त याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा था कि मृतक को 27 मार्च 2025 को दफनाया गया था। रिकॉर्ड में कोई सबूत नहीं है कि शुरुआती पोस्टमॉर्टम और प्रक्रिया में किसी गलत इरादे से कमी की गयी है और कानूनी नियमों का उल्लंघन करके किया गया था। हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी में लिखी चोट का सिर्फ जिक्र होना होमीसाइडल मौत या पोस्टमार्टम में की प्रक्रिया को गलत मानते हुए पुन: पोस्टमॉर्टम का आधार नहीं है। जिसके कारण उक्त अपील दायर की गयी है। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेष किये गये जवाब में बताया गया कि एसएचओ थाना स्टेशन गंज जिला नरसिंहपुर द्वारा प्रारंभिक जांच की गयी थी। जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए युगलपीठ को बया गया कि सभी संबंधित व्यक्ति के बयान दर्ज किये गये और प्रकरण एफआईआर दर्ज करने योग्य नहीं है। युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता से पूछा कि कानून के किन नियमों के तहत जांच कार्यवाही की गयी। सरकारी अधिवक्ता की तरफ से बताया गया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा पारित आदेश तथा नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा 11 नवंबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार जांच की गयी थी। युगलपीठ ने हैरानी जताते हुए अपने आदेश में कहा था कि शिकायत संज्ञेय अपराध को दर्ज करने के लिए की गयी थी। बिना एफआईआर दर्ज किये पुलिस कैसे जांच कर सकती है। पुलिस अधीक्षक व न्यायालय बिना एफआईआर दर्ज किये बिना कैसे जांच के आदेश जारी कर सकता है। ऐसा लगता है कि पुलिस विभाग कानून में दिये गये प्रावधान तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ध्यान नही दे रहा है। युगलपीठ ने इस संबंध में कि रसिंहपुर पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से हलफनामा पेष करने के आदेश जारी किये थे। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये। युगलपीठ ने इस प्रक्रिया में मृतक की पत्नी तथा पुत्र को शामिल होने की अनुमति प्रदान की है।

निगमायुक्त ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर जानी हकीकत

नवभारत, जबलपुर। शहर की स्वच्छता रैंकिंग को बेहतर बनाने और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने मंगलवार को सुबह से शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने शहर के मुख्य मार्गों के साथ-साथ भीतरी बस्तियों का भी सघन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सड़कों की सफाई, डिवाइडर की धुलाई और कचरा निपटान केंद्रों का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। निगमायुक्त ने मौके पर मौजूद स्वच्छता अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई कार्यो में और कसावट लाएँ और सिटी प्रोफाईल के अनुरूप फील्ड में बेहतर कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।

निगमायुक्त ने इस अवसर पर सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का भी निरीक्षण किया और सभी प्रसाधन केन्द्रों में चाक चौबंद व्यवस्था रखने संबंधितों को निर्देश दिये। उन्होंने शहर में ब्यूटीफिकेशन को लेकर कराये जा रहे कार्यो की भी जानकारी ली तथा निगम टीम के द्वारा किये जा रहे पेंटिंग, ग्रीनवॉल, छोटे-छोटे उद्यानों तथा फाउन्टेन विकसित करने के संबंध में सराहना की। इस अवसर पर अपर आयुक्त अरविन्द शाह, देवेन्द्र सिंह चौहान, अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव, उपायुक्त संभव अयाची, स्वास्थ्य अधिकारी अंकिता बर्मन, उद्यान अधिकारी मनीष तड़षे, स्वच्छता के सहायक नोडल अधिकारी अभिनव मिश्रा, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अर्जुन यादव, पोला राव आदि उपस्थित रहे।

अंतर्राज्यीय कुख्यात एवं आदतन अपराधी सिहोरा स्टेशन से गिरफ्तार

जबलपुर, नवभारत। रेलवे सुरक्षा बल, जबलपुर मंडल द्वारा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण एवं साहसिक कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय, कुख्यात एवं आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जो विभिन्न राज्यों में रेल यात्रियों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता रहा है। मिली जानकारी अनुसार 06 अप्रैल को प्रात: लगभग 04:50 बजे, सिहोरा रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ स्टाफ द्वारा ट्रेन संख्या 11753 से एक संदिग्ध व्यक्ति को ऑफ साइड से उतरकर तेजी से स्टेशन परिसर से बाहर भागते हुए देखा गया। संदेह होने पर आरपीएफ कर्मियों ने तत्काल उसका पीछा किया। अपराधी गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में बाजार क्षेत्र के समीप स्थित एक तालाब में कूद गया। इस पर आरपीएफ ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और गोताखोरों की सहायता से तलाशी अभियान चलाया और संयुक्त

प्रयासों से आरोपी को तालाब से बाहर निकालकर सिहोरा स्टेशन लाया गया। स्टेशन लाए जाने के उपरांत आरोपी ने पुन: भागने का प्रयास किया, किन्तु आरपीएफ के सतर्क एवं साहसी स्टाफ ने मामूली चोटें लगने के बावजूद उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया।

नहीं करता था पहचान उजागर

पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने का प्रयास किया, किन्तु गहन जांच एवं तकनीकी सत्यापन के आधार पर वर्ष उसकी पहचान स्थापित की गई। जो हरविंदर सिंह, 32 वर्ष, निवासी मोहल्ला खेड़ा, थाना हल्दौर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। बता दे कि आरोपी का कार्य करने का तरीका अत्यंत शातिर है। वह कभी भी अपनी वास्तविक पहचान उजागर नहीं करता, कोई पहचान पत्र साथ नहीं रखता तथा प्रत्येक वारदात के दौरान नए सिम कार्ड का उपयोग करता है, जिससे उसकी पहचान करना कठिन हो जाता है। प्रारंभिक जांच एवं आईसीजेएस सत्यापन में यह सामने आया कि आरोपी एक अंतर्राज्यीय सक्रिय आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के विभिन्न रेलवे पुलिस थानों में अनेक प्रकरण दर्ज हैं। इस कार्रवाई में आईपीएफ राजीव खरब, एसआई अरविंद, सीटी विनय मौर्य एवं आशीष यादव की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही, जिनकी सतर्कता, त्वरित कार्रवाई एवं कर्तव्यनिष्ठा के कारण एक बड़े अपराधी को पकड़ना संभव हो सका।

निजी स्कूल संचालकों, प्राचार्य व पुस्तक विक्रेताओं को झटका

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने फीस घोटाला, डुप्लीकेट आईएसबीएन नंबर व अन्य मामलों में आरोपी बनाए गए स्कूल संचालकों, प्रबंधकों, प्राचार्य व पुस्तक विक्रेताओं को राहत देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने उक्त लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मामले में कुछ आरोपियों, विशेषकर पुस्तक प्रकाशकों के विरुद्ध जांच लंबित है। हाईकोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि वे लंबित जांच यथाशीघ्र पूरी करें। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन कलेक्टर के निर्देश पर कई निजी स्कूल के प्राचार्य, संचालक, प्रबंधन कमेटी के सदस्य, बुक पब्लिशर्स, पुस्तक विक्रेताओं के खिलाफ संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की गई थी। इन पर नियम विरुद्ध स्कूल फीस वृद्धि, डुप्लीकेट आईएसबीएन नंबर वाली पुस्तकों को लागू करने व अन्य अनियमितताओं का आरोप था। अधिकतर आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन ट्रायल जारी है। क्राइस्ट चर्च ब्वायज स्कूल की प्राचार्य लूवि मैरी साठे, क्राइस्ट चर्च डायोसीस स्कूल घमापुर की प्राचार्य एकता पीटर्स, बोर्डस्ले स्कूल कटनी के प्राचार्य अतुल अनुपम अब्राहम, चिन्ड्रन बुक डिपो के शशांक श्रीवास्तव, चैतन्य टेक्नो स्कूल के चंद्रशेखर विश्वकर्मा और सूर्य प्रकाश वर्मा ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और ट्रायल को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने सभी की याचिकाएं निरस्त कर दी।

कार्यकारिणी घोषित | 51 सदस्यीय कार्यकारिणी में संगठन महासचिव, कोषाध्यक्ष सहित 10 उपाध्याय, 15 महासचिव, 20 सचिव, 2 प्रवक्ता, 2 सोशल मीडिया प्रभारियों को किया गया शामिल

लंबे इंतजार के बार शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित

जाति, वर्ग, अनुभव के साथ सभी की जवाबदारी तय

नवभारत, जबलपुर। शहर (जिला) कॉंग्रेस कमेटी की बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी की सूची मंगलवार को प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी ने जारी कर दी है, सूची में जबलपुर शहर की चारों विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को जाति, वर्ग, अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी गई है। सूची में प्रदेश कॉंग्रेस के पूर्व पदाधिकारियों, युवक कॉंग्रेस के पूर्व पदाधिकारियों, एन एस यू आई के पूर्व अध्यक्ष को भी शामिल कर महत्पूर्ण जवाबदारी दी गई है। जारी सूची के मुताबिक संगठन महासचिव की जिम्मेदारी रितेश गुप्ता 'बंटी' को एवं कोषाध्यक्ष की महत्पूर्ण जवाबदारी आरिफ बेग को मिली है।

नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने नवभारत को बताया कि कांग्रेस की 51 सदस्यीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर सरबजीत सिंह रील, मनीष चंसोरिया, संजय अहिरवार, नेम सिंह, अजय रावत, सैयद जमीलउद्दीन (ठाकरे), हुकुम चंद जैन, आलोक गुप्ता, सुबोध पहाडिया, संजय , महासचिव पद पर डिक्की जॉन, रवीन्द्र कुशवाहा, उमेश लोधी, मुकेश सराफअमर चंद बाबरिया, सचिन वाजपेई, निर्मल जैन, आरिफ सिद्दिकी, पंकज निग़ाम, पुष्कल शर्मा, राजेश दीवान, अनिल मिश्रा ' ' मिंटु ', अरविंद तिवारी 'अन्नू ', रंजीत ठाकुर, मोनू अग्रवाल 'संदीप ', सचिव पद पर राज शुक्ला, श्रेष्ठ ठाकुर, निशा ओझा, सीमा तिवारी, जयंत मिश्रा, बालकृष्ण सोनकर 'सोनू ', शिशिर नन्होरिया, कलीम खान, जुम्मन सेन 'प्रवेंद्र ', शक्ति चौकसे, सीमान्त चौहान, केशव कोरी, सोहन गुप्ता 'सोनू 'मिथुन शिवहरे, आसिफ कुरेशी , मिस्टर जैन 'सुधीश ', मो.अल्तमस, असलम खान, अखिलेश शर्मा, ललित कोटबानी, प्रवक्ता पद पर रिजवान अली कोटी, प्रवेंद्र चौहान, सोशल मीडिया प्रभारी पद पर विष्णु विनोदिया, सैयद मुख्तार अली को नियुक्त किया गया है। विदित हो कि शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि ये कब घोषित होगी। अंतत: मंगलवार को इस पर विराम लग गया है ।

बालक ने लगाई फांसी

जबलपुर। गोरखपुर थाना अंतर्गत शक्ति नगर भोलेकुटी के पास एक दस साल के बालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । मृतक ने यह आत्मघाती कदम किन परिस्थितियों में उठाया इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है । पुलिस के मुताबिक विजय चक्रवर्ती 25 वर्ष निवासी शक्ति नगर भोलेकुटी के पास कुम्हार मोहल्ला ने सूचना दी कि वह आटो चलाता है। आटो चलाकर अपने घर आया उसक बडे पिता बेडीलाल ने बताया कि शिवा चक्रवर्ती 10 वर्ष ने चौखट में टावल से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भिजवाते हुये जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मृतक ने यह कदम किन कारणों से उठाया इसका पता लगाया जा रहा है.

मुख्यालय की जनसुनवाई में 47 और संभागों में प्राप्त हुए 32 आवेदन

समस्याओं का किया गया निराकरण

नवभारत, जबलपुर। शहर के विकास और नागरिकों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय और सभी 16 संभागों में साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने मुख्यालय में आए 47 आवेदकों से सीधा संवाद किया और आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करवाई। इसी तरह सभी 16 संभागों में संभागीय अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए 32 प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही की। निगमायुक्त ने बताया कि मुख्यालय में 47 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 10 अतिक्रमण विभाग, 4

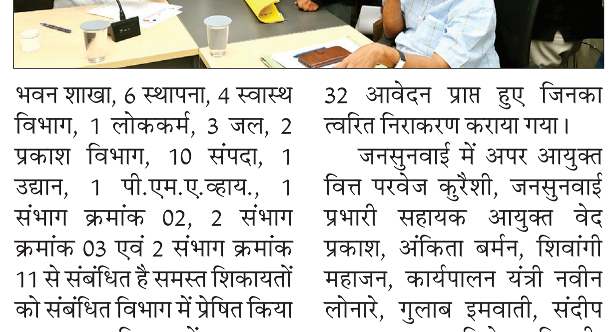

भवन शाखा, 6 स्थापना, 4 स्वास्थ विभाग, 1 लोककर्म, 3 जल, 2 प्रकाश विभाग, 10 संपदा, 1 उद्यान, 1 पी.एम.ए.व्हाय., 1 संभाग क्रमांक 02, 2 संभाग क्रमांक 03 एवं 2 संभाग क्रमांक 11 से संबंधित है समस्त शिकायतों को संबंधित विभाग में प्रेषित किया गया व कुछ शिकायतों का राजस्व एवं स्वास्थ विभाग द्वारा त्वरित निराकरण किया गया। इसी प्रकार संभाग क्रमांक 1 से 16 तक में कुल 32 आवेदन प्राप्त हुए जिनका त्वरित निराकरण कराया गया।

जनसुनवाई में अपर आयुक्त वित्त परवेज कुरैशी, जनसुनवाई प्रभारी सहायक आयुक्त वेद प्रकाश, अंकिता बर्मन, शिवांगी महाजन, कार्यपालन यंत्री नवीन लोनारे, गुलाब इमवाती, संदीप जायसवाल, अभिषेक तिवारी, दिग्दर्श, महेश शर्मा, सतीश मिश्रा, असद व समस्त विभागीय प्रमुख व प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।